



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-18032026-271034  
CG-JH-E-18032026-271034

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947

No. 182]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
धनबाद, 16 मार्च, 2026

सा.का.नि. 188(अ).—धात्विक खान विनियम, 1961 का विनियम 13(1) और 13(4) के प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में निर्धारित उपनियम, सा.का.नि. 492(अ), दिनांक 22.07.2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में दिनांक 24.07.2025 को प्रकाशित हुए थे, इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यदि अधिसूचना के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच कोई भिन्नता या संदेह है, तो अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण हिंदी संस्करण पर लागू होगा।

[फा. सं. डीजीएमएस/परीक्षा/एमएमआर/अधिसूचना/2026/1]

उज्वल ता, मुख्य खान निरीक्षक एवं अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड।

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
(Directorate General Of Mines Safety)**

**NOTIFICATION**

Dhanbad, the 16th March, 2026

**G.S.R. 188(E).**—In view of the provisions of Regulations 13 (1) and 13 (4) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, and observations made by competent authority, the Bye-laws framed by the Board of Mining Examinations, vide G.S.R. 492(E) dated 22.07.2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 24.07.2025, relating to grant of Gas Testing Certificates of Competency is hereby rescinded with immediate effect.

If there is any variation or doubt between English and Hindi versions of this notification, then English version of the notification will prevail over the Hindi version.

[F. No. DGMS/EXAMS/MMR/NOTIFICATION/2026/1]

UJJWAL TAH, Chief Inspector of Mines & Chairman, Board of Mining Examinations